दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

पति की हत्या करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया रिमाण्ड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द अन्तर्गत मदनपुर निवासी रामप्रसाद राठिया उम्र 40 वर्ष की दिनांक 17.06.19 के रात्रि उसकी पत्नि रासमति राठिया उम्र 38 वर्ष टांगा मारकर हत्या कर दी। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि रामप्रसाद राठिया शराब पीने का आदि था शराब पीकर घर में उसकी पत्नी रासमति को लडाई झगडा करते रहता था। दिनांक 17/06/19 के रात्रि में भी शराब पीकर उसकी पत्नी रासमति को लडाई झगडा किया जिससे तंग आकर दिनांक 17/06/19 को रात्रि (सुबह) लगभग 3.00 बजे रासमति ने अपने पति रामप्रसाद राठिया को हत्या करने के नियत से टांगा से मारपीट किया जिससे रामप्रसाद के सामने गले, दाहिने हाथ के भुजा में चोटें आयी है, काफी खून बहने से रामप्रसाद का मृत्यु हो गया । घटना के संबंध में आरोपिया रासमति राठिया के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में अप.क्र. 76/19 धारा 302 भादंवि दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आज रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

ग्राम पंचायत सचिव डिलेश्वर पटेल निलंबित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जनपद पंचायत पुसौर ग्राम पंचायत नवापारा माण्ड के ग्राम पंचायत सचिव डिलेश्वर पटेल को सूचना के तहत चाही गई जानकारी समयावधि में प्रदान नहीं करने एवं समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटेल का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पद के लिए 2 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 2 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित की गई है। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन नियत तिथि तक एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी कार्यालय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते है।

दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिली सहायता

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ शहर अंतर्गत 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ की अनुशंसा पर मृतक के नजदीकी वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ के विजयपुर निवासी अमित यादव की 20 अक्टूबर 2017 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी माता सुकून यादव को 25 हजार रुपए तथा गौशालापारा बापूनगर निवासी आशीष यादव की 19 अक्टूबर 2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी माता श्रीमती पूर्णिमा यादव को 25 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 को

न्याय साक्षी/रायगढ़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।

अज्ञात वाहन की ठोकर से चीतल की मौत, तमनार वन परिक्षेत्र का मामला

न्याय साक्षी/रायगढ़। तमनार वन परिक्षेत्र के सामारूमा क्षेत्र में आज एक चीतल की मौत अज्ञात वाहन के ठोकर से हो गई। मामले की जानकारी लगने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जूट गया है। वहीं मृत चीतल का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आज तड़के तमनार वन परिक्षेत्र के सामारूमा क्षेत्र के जंगल से एक चीतल रोड क्रास कर रहा था। तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोकर मार दिया। इससे चीतल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर वाहन चालक भाग निकला। घटना के बाद जब मामले की जानकारी वन अमला को लगी, तो मौके पर पहुंच कर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं मामले की तब तक सूचना जिला सेव फारेस्ट समिति को भी लग चुकी थी। ऐसे में समिति अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले में पीओआर दर्ज कर चीतल का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।

अवैध कोयला उत्खन्न करते जेसीबी पकड़ाया, तमनार पुलिस की एक और कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले के थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध कोयला कारोबारियों पर सख्ती से कार्यवाही करने का दिशा निर्देश दिया गया है । प्रभारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जा रहा है व अपने क्षेत्र में कोयला के परिवहन व संग्रहण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु मुखबिर सक्रिय किए गए हैं । इसी क्रम में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभय सिंह बैस को दिनांक 17-18.06.19 के दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम तिलाईपाली जंगल नदी किनारे अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीकी एवं कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी तमनार द्वारा टीम बनाकर ग्राम तिलाईपाली जंगल नदी किनारे रवाना हुये एवं सर्चिंग करते हुए रेड कार्यवाही किया गया । मौके पर एक जेसीबी वाहन सीजी 04 एल -0448 जो अवैध उत्खनन के लिए उपयोग में लाया जा रहा था मिला है। आरोपीगण पुलिस को आते देखकर जेसीबी छोड़कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, लावारिस हालत में मिले जेसीबी को जप्त किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा आसपास जंगल में स्टाफ के साथ सर्चिंग किये किंतु जेसीबी चालक व कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। मौके से जप्त किये गये जेसीबी वाहन को धारा 102 सीआरपीसी के तहत जप्त कर किया गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अभय सिंह बैस थाना प्रभारी तमनार, उप निरीक्षक आरपी तिवारी सहायक उप निरीक्षक जेपी निषाद, प्रधान आरक्षक लखेश्वर मानसर, आरक्षक लक्ष्मी पटेल, अमृत गुप्ता, ओम प्रकाश पटेल शामिल थे।

लोहे के कत्ता के साथ पकड़ाया युवक, आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी जूटमिल में पदस्थ सउनि उमाशंकर विश्वाल द्वारा टाऊन पेट्रालिंग दौरान मुखबिर सूचना पर गोगाराईस मिल के पास युवक अजय चौहान को लोहे के कत्ता के साथ पकडे और चौकी लेकर गये। आरोपी अजय चौहान अपने खुले हथियार से लोगों को सार्वजनिक स्थान पर डरा-धमका रहा था। पुलिस चौकी जूटमिल में आरोपी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।

बैंक में गिरवी रखे मकान को बेचने ले लिया 1 लाख एडवांस, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। शिकायतकर्ता रविन्द्र प्रताप सिंह आ. सुरेन्द्र सिंह निवासी जूटमिल चौकी के पीछे रायगढ़ एस्सार पावर प्लांट बैठन जिला सिंगरौली (म.प्र.) में इंजीनियर है । रविन्द्र का परिवार जूटमिल में निवासरत है । कालिंदी कुंज रायगढ में रहने वाली सरिता घोष एवं उसके पति आशीष घोष अपने स्वयं के हक एवं स्वामित्व की कालिंदी कुंज के प्लाट नं. 104 में एक पक्के का मकान बनाये है। सरिता घोष और उसके पति आशीष घोष ने पैसों की आवश्यकता बताते हुए सुरेन्द्र सिंह से मुलाकात कर अपने मकान को 31,50,000/रूपये में विक्रय करने का सौदा किये और अपने मकान का कागजात दिखाकर मकान को पूर्णतः निर्विवादित बताये। तब सुरेन्द्र सिंह द्वारा 1,00,000 रू. का बतौर एडवांस चेक दिया गया व रविन्द्र प्रताप ने बैंक से लोन लेकर 30,50,000/-रूपये सरिता एवं उसके पति को दिये । रविन्द्र जब सरिता और आशीष घोष को उक्त मकान को रजिस्ट्री करने को बोला तब दोनों पति पत्नि ने उक्त मकान को यु.को. बैंक बृजराज नगर उडिसा में पहले से गिरवी रखना बताये। जिसके बाद रविन्द्र अपने कबीर चौक रायगढ़ स्थित स्टेट बैंक के प्रबंधक से सम्पर्क कर सरिता घोष के खाते में ट्रांसफर किये गये रकम 30,50,000/रू. के भुगतान को रोक लगाया किन्तु लोन का ब्याज 9,252/ रूपये अदा किया । इस प्रकार आरोपीगण द्वारा बैंक में गिरवी रखे मकान को धोखाधड़ी कर विक्रय करने के नाम पर बतौर एडवांस 1 लाख रूपये हडप्प कर लिया गया है।

पेंशन व मजदूरी भुगतान के लिए प्रभारी मंत्री ने की पहल

» बैंक प्रबंधन को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने जनसामान्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ पेंशन एवं मनरेगा के श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के संबंध में आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए सार्थक पहल की।

समस्याओं के समाधान के लिए प्रति बुधवार नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत में बैंक के कर्मचारी आ रहे है और जनसामान्य को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे समस्त हितग्राही जिनका आवास, पेंशन, मनरेगा से संबंधित किस खाते से भुगतान हो रहा है इसकी जानकारी न होने से वे बैंक एवं कार्यालयों में भटकते रहते है। ज्यादातर पेंशन एवं मनरेगा के हितग्राहियों को यह पता नहीं होता है कि किस एकाउंट में पेंशन जा रहा है। प्रभारी मंत्री पटेल ने आईसीआईसीआई बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंकों के कर्मचारियों को प्रति बुधवार सुबह से उपस्थित होकर सप्ताह भर के भुगतान संबंधी आवेदनों का निराकरण करने के लिए कहा है। जहां कोई भी हितग्राही अपनी बैंक संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रभारी मंत्री पटेल कीइस पहल से जनता में प्रसन्नता की लहर है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत में पेंशन के 2, बरमकेला में 12, सारंगढ़ में 14, पुसौर में 7, रायगढ़ में 29, खरसिया में 12, घरघोड़ा में 3, तमनार में 22, लैलूंगा में 48 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं मनरेगा के मजदूरों के तहत जिला पंचायत के 2, बरमकेला 6, पुसौर में 11, रायगढ़ में 26, घरघोड़ा में 2, तमनार में 2 प्रकरण निराकृत किए गए।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
पीड़ित संपर्क करें
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480